



सं. 20-24(3)/2001-राभा
Dated दिनांक : 05.10.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति समय-समय पर सीएसआईआर मुख्यालय तथा उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निरीक्षण के समय विज्ञापनों को राजभाषा नीति के अनुरूप न दिए जाने पर आपत्ति प्रकट करती रही है।

इस विषय में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-1 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017-रा.भा. (नीति) के अनुसार “संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-9 में संस्तुति संख्या-88 पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित हुए हैं कि जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा” **“any advertisement given in English or Regional Language, has so be compulsorily given in Hindi Language.”**

तदनुसार, सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अनुभाग/प्रभाग में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(वंदिता)

हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख आरपीपीबीडीडी, सीएसआईआर मुख्यालय
 2. प्रमुख, यूएसडी, सीएसआईआर मुख्यालय
 3. उप सचिव (के.का.), सीएसआईआर मुख्यालय
 4. उप सचिव (सामान्य), सीएसआईआर मुख्यालय
 5. उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स
 6. उप सचिव, एचआरडीसी, सेक्टर-19, सेंट्रल गवर्नमेंट एन्क्लेव, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद
 7. प्रमुख, आईपीडी (आईपीयू), 14 सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया, निस्केयर बिल्डिंग, नई दिल्ली-110067
 8. आईटी प्रभाग - सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ।
 9. कार्यालय प्रति
- (इस अनुरोध के साथ कि अपने-अपने स्तर पर उक्त कार्यालय ज्ञापन के संबंध में यथावश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें)